वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर अधिकारियों हेतु विभागीय परीक्षा नियम, 2026

(वर्ष 2026 की परीक्षा से प्रभावी)

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

इन नियमों को "आयकर अधिकारियों हेतु विभागीय परीक्षा नियम, 2026" कहा जाएगा। ये नियम **कैलेण्डर वर्ष 2026** से आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा एवं उसके पश्चात् की परीक्षाओं पर लागू होंगे।

नियम I: परिभाषाएँ

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

1. आयकर अधिकारियों हेतु विभागीय परीक्षा के लिए **'प्राधिकारी'** से अभिप्राय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली की ओर से **आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)** है।
2. **सुधार अवसर (बेटरमेंट चांस)** का अर्थ है- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को, इन नियमों के अधीन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए विहित उत्तीर्णांक प्राप्त कर अलग-अलग प्रश्न-पत्रों में स्वयं ही उत्तीर्ण होकर, परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु, इन नियमों के अधीन दिए गए अतिरिक्त अवसर ।
3. **"सक्षम प्राधिकारी"** से अभिप्राय अपर आयकर महानिदेशक -2, मानव संसाधन विकास है।
4. **"नया परीक्षा पैटर्न"** से अभिप्राय "आयकर अधिकारियों हेतु विभागीय परीक्षा नियम-2026" के अंतर्गत समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार आयोजित परीक्षा से है।
5. **"पुराना परीक्षा पैटर्न"** से अभिप्राय "आयकर अधिकारियों हेतु विभागीय परीक्षा नियम-2009" के अंतर्गत समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार आयोजित परीक्षा/परीक्षाओं से है।*(*आयकर अधिकारियों हेतु पूर्ववर्ती विभागीय परीक्षा नियम-1998, अब वर्ष 2026 से प्रयोग में नहीं लाए जायंगे)।
6. **"आंशिक रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थी"** से अभिप्राय ऐसे अभ्यर्थी से है, जिसे वर्ष 2009 के पुराने परीक्षा पैटर्न के अंतर्गत तीन या उससे कम प्रश्नपत्रों में अभी उत्तीर्ण होना शेष है।

7. **"परीक्षा की आवधिकता"** से अभिप्राय है कि परीक्षा सामान्यतः वर्ष में एक बार, अधिमानतः कैलेंडर वर्ष के प्रथम अर्धभाग में आयोजित की जाएगी। तथापि, यह आयकर निदेशालय (मा.सं.वि.) के विवेकाधिकार के अधीन परिवर्तनीय होगी। आयकर निदेशालय (मा.सं.वि.) परीक्षा की निश्चित तिथियों की अधिसूचना जारी करेगा तथा परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा से पर्याप्त समय पहले निर्धारित करेगा।
8. **"पुनरीक्षण प्राधिकारी"** से अभिप्राय प्रधान आयकर महानिदेशक (मा.सं.वि.), नई दिल्ली है।

<u>नियम II: प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त – परीक्षा प्रभारी</u>

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा परीक्षा प्रभारी के रूप में नामित कोई प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त उस क्षेत्र/प्रभार में आयकर अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नामित प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त को निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु अधिकृत करेंगे–

1. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करना;
2. अपने-अपने क्षेत्र के अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों को स्कैन, सत्यापित तथा प्रमाणित/अभिप्रमाणित करना (रोल नंबर/पंजीकरण संख्या के क्रम में) तथा इन्हें इन नियमों के नियम XIII एवं नियम XIV के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया एवं समयसीमा के अनुसार अधिसूचित अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयकर निदेशालय (मा.सं.वि.) को अग्रेषित करना;
3. विषयनिष्ठ प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को आयकर निदेशालय (मा.सं.वि.) को भेजने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना;
4. आयकर निदेशालय, मानव संसाधन विकास द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप में परीक्षा के संचालन से संबंधित सभी विवरण प्रस्तुत करना;
5. परीक्षा के सुचारु संचालन तथा परिणामों की घोषणा, प्रश्नपत्रों के वितरण, परीक्षा कक्ष में प्रक्रिया निर्धारित करने आदि हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ करना आदि; तथा
6. उप-नियम II (1) से II (5) में उल्लिखित कार्यों के अतिरिक्त, आयकर निदेशालय (मा.सं.वि.) द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य आवश्यक कार्यों का निष्पादन करना।

<u>नियम III: पात्रता</u>

आयकर अधिकारियों हेतु विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता निम्नानुसार होगी–

1. वे आयकर निरीक्षक जिन्होंने निरीक्षकों हेतु विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. वे कार्यालय अधीक्षक जिन्होंने निरीक्षकों हेतु विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
3. वे कर सहायक जिन्होंने निरीक्षकों हेतु विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
4. वे स्टेनोग्राफर ग्रेड-I एवं II जिन्होंने निरीक्षकों हेतु विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

परन्तु यह भी कि ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में पुराने पैटर्न या नये पैटर्न की परीक्षा को छूट प्राप्त मानकों के साथ पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर लिया है, वे अपने परिणाम के सुधार हेतु भी परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, बशर्ते कि उनके द्वारा उपयोग किए गए अवसरों की संख्या नीचे नियम-IV में निर्धारित अवसरों की अधिकतम सीमा से कम हो।

परन्तु यह भी कि पुराने पैटर्न की परीक्षा के आंशिक रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी नीचे नियम IV में निर्धारित अवसरों की अधिकतम संख्या की अधिसीमा तथा नियम VI(2) में दी गई प्रश्न-पत्र मिलान अनुसूची के अनुसार, केवल अनुत्तीर्ण प्रश्न-पत्र(पत्रों) हेतु ही नये पैटर्न की वर्ष 2026 एवं उसके पश्चात् की परीक्षाओं में प्रविष्ट होने हेतु पात्र होंगे। यह पात्रता पुराने पैटर्न के अनुत्तीर्ण प्रश्न-पत्र(पत्रों) में उत्तीर्ण होने की रियायत पुराने पैटर्न के अभ्यर्थियों को दिए जाने के सीमित प्रयोजन हेतु है और जैसे ही वे नियम IV में निर्धारित अवसर अधिसीमा तक पहुँच जाएँगे, यह पात्रता समाप्त हो जाएगी।

<u>नियम IV: अनुमेय अवसर एवं आयु सीमा</u>

1. किसी अभ्यर्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम 10 अवसर प्रदान किए जाएंगे।
2. अधिकतम अवसरों की गणना में, वर्ष 2010 की परीक्षा (परीक्षा नियमावली-2009 के अनुसार) के बाद अभ्यर्थी द्वारा लिए गए अवसरों को भी सम्मिलित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग किए गए अवसरों की अधिकतम संख्या की गणना में, ऐसे अवसर भी सम्मिलित होंगे जिनके लिए उन्हें परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति दी गई थी, चाहे अभ्यर्थी ने परीक्षा दी हो अथवा नहीं। एक बार परीक्षा में

सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान किए जाने के पश्चात अभ्यर्थिता वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

4. जिन अभ्यर्थियों के पास परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु तीन से कम अवसर शेष हैं, उन्हें नवीन रूप से प्रवर्तित प्रश्नपत्र-V "आई टी एप्लिकेशन्स एवं संचालन" को विशेष रूप से उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे।

उदाहरण:

ऐसा अभ्यर्थी जिसने पहले ही आठ अवसरों का उपयोग कर लिया है तथा अभी तक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उसे केवल प्रश्नपत्र-V " आई टी एप्लिकेशन्स एवं संचालन" को उत्तीर्ण करने के लिए बचे हुए दो अवसरों के अतिरिक्त एक और अवसर प्रदान किया जाएगा।

5. विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।
6. जिन अभ्यर्थियों ने पहले से कोई प्रश्न-पत्र/परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वे उस प्रश्न-पत्र/परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं होंगे, सिवाय उन अभ्यर्थियों के जिन्हें सम्पूर्ण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अपने अंकों में सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति है।

<u>नियम V: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्ययर्थियों हेतु सुधार अवसर</u>

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बैंचमार्क दिव्यांगता वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पुराने पैटर्न अथवा नये पैटर्न के अधीन छूट प्राप्त मानकों के साथ विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें संबंधित प्रश्न-पत्र(पत्रों) के परिणाम में सुधार हेतु परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने के अतिरिक्त अवसर नियम IV में निर्धारित दस अवसरों की समग्र अधिसीमा के अधीन प्रदान किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए, संबंधित पैटर्न के अधीन परीक्षा उत्तीर्ण करने में अभ्यर्थी द्वारा पहले से उपयोग किए गए अवसरों की संख्या भी गिनी जाएगी।
2. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने परीक्षा को पूर्ण रूप से पास नहीं किया है, उन्हें व्यक्तिगत प्रश्नपत्रों के परिणामों में सुधार हेतु अवसर नहीं मिलेगा।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पुराने पैटर्न में छूट प्राप्त मानकों के साथ उत्तीर्ण की है, उन्हें केवल नियम VI(2) में नीचे दी गई

समतुल्य अनुसूची के अनुसार सुसंगत मिलान वाले प्रश्न-पत्र(पत्रों) में ही बैठने की अनुमति दी जाएगी।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने नये पैटर्न में छूट प्राप्त मानकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें नीचे नियम VI में दिए गए प्रश्न-पत्र(पत्रों) में प्रविष्ट होकर अपने परिणाम में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी।

<u>नियम VI: परीक्षा की संरचना</u>

1. **परीक्षा के प्रश्न-पत्र**

नए पैटर्न के अभ्यर्थियों, जिसमें परिणाम सुधार (Betterment Chance) प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं, के लिए परीक्षा निम्नलिखित प्रश्नपत्रों में संलग्नक-I में दिए गए पाठ्यक्रम अनुसार आयोजित की जाएगी ।

प्रश्न-पत्र संख्या	प्रश्न-पत्र	प्रकार	अधिकतम अंक	प्रश्न-पत्र की अवधि
1.	प्रश्न-पत्र-I: आयकर विधि एवं करदाता सेवाएँ (पुस्तकों सहित – केवल मूल अधिनियम एवं नियम)	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटे
2.	प्रश्न-पत्र-II: उन्नत लेखाशास्त्र (पुस्तकों के बिना)	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटे
3.	प्रश्न-पत्र-III: सम्बद्ध विधियाँ एवं कार्यालय प्रशासन (मूल अधिनियम तथा एफआर, एसआर, जीएफआर नियम आदि- पुस्तकों सहित)	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटे
4.	प्रश्न-पत्र-IV: आय की गणना एवं प्रारूपण (पुस्तकों सहित – आयकर अधिनियम एवं नियम)	विषयनिष्ठ	100	3 घंटे

प्रश्न-पत्र संख्या	प्रश्न-पत्र	प्रकार	अधिकतम अंक	प्रश्न-पत्र की अवधि
5.	प्रश्न-पत्र-V: आई टी एप्लिकेशन्स एवं संचालन (पुस्तकों के बिना)	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटे

ए.) प्रश्न-पत्र-I, 100 अंकों का होगा। संलग्नक-I में उल्लिखित पाठ्यक्रम के अनुसार, कुल अंकों में से, 75% भारिता आयकर अधिनियम, आयकर नियम एवं करदाता सेवाएं को, 15% भारिता निर्णयज विधियों को तथा 10% भारिता अन्य विधियों को दी जाएगी।

बी.) प्रश्न-पत्र-II संलग्नक-I के पाठ्यक्रम के अनुसार 100 अंकों का होगा। कुल अंकों में से, 35% भारिता व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को दी जाएगी, जिनमें सही उत्तर के लिए विश्लेषणात्मक तर्क एवं संगणनात्मक समझ की आवश्यकता होगी।

सी.) प्रश्न-पत्र-III, 100 अंकों का होगा एवं इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कुल अंकों में से, 50% भारिता 'सम्बद्ध विधियों' को तथा 50% भारिता 'कार्यालय प्रशासन' को, संलग्नक-I के पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाएगी। इस प्रश्न-पत्र के लिए मूल अधिनियम तथा एफआर, एसआर एवं जीएफआर नियम उपलब्ध कराए जाएँगे।

डी.) प्रश्न-पत्र-IV, 100 अंकों का होगा तथा एक विषयनिष्ठ प्रश्न-पत्र होगा। कुल अंकों में से, 50% भारिता 'आयकर संगणना' को तथा 50% भारिता 'प्रारूपण कौशल' को अनुबंध-I के पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाएगी।

ई.) प्रश्न-पत्र-V, 100 अंकों का होगा तथा इसमें संलग्नक-I के पाठ्यक्रम के अनुसार 'आई टी एप्लीकेशंस एवं संचालन' पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।

एफ.) वस्तुनिष्ठ-प्रकार के प्रश्न-पत्रों में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई (1/4) अंक की कटौती की जाएगी।

जी.) प्रश्न-पत्र-I, प्रश्न-पत्र-III एवं प्रश्न-पत्र-IV के लिए, केवल मूल अधिनियम/नियम अथवा कर तालिकाओं, मूल्यह्रास दरों, पूँजीगत लाभ सूचकांक युक्त रेडी रेकनर को परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति होगी।

एच.) परीक्षा कक्ष में कोई वैज्ञानिक कैलकुलेटर, मोबाइल फोन अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, साधारण अंकगणितीय कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति होगी।

आई.) जो अभ्यर्थी आयकर अधिकारियों हेतु संशोधित विभागीय परीक्षा नियमावली, 2009 के अंतर्गत किसी प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण हो चुके हैं, उन्हें नियम VI(2) में निर्दिष्ट समकक्षता अनुसूची के अनुसार नई परीक्षा पद्धति के संबंधित प्रश्नपत्रों में पुनः उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

जे.) **बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों हेतु प्रावधान:**

i. दृष्टिहीनता, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित – बीए) एवं प्रमस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणियों में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को, यदि वे चाहें, तो श्रुतलेखक (स्क्राइब) की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(आर) के अधीन परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की अन्य श्रेणीयों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थियों को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा अनुमत की जाएगी कि, संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक बाधा है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए श्रुतलेखक आवश्यक है। यह प्रमाणपत्र किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाना अपेक्षित है।

ii. अभ्यर्थी के पास अपना श्रुतलेखक चुनने अथवा परीक्षा प्रभारी से इसके लिए अनुरोध करने का विवेकाधिकार होगा। परवर्ती मामले में, अभ्यर्थियों को परीक्षा से दो दिन पूर्व श्रुतलेखक से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि अभ्यर्थी को यह जाँचने एवं सत्यापित करने का अवसर मिले कि श्रुतलेखक उपयुक्त है अथवा नहीं।

iii. यदि परीक्षा प्रभारी श्रुतलेखक/वाचक उपलब्ध करवाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि श्रुतलेखक की योग्यता परीक्षा की न्यूनतम अर्हता मानदंड से अधिक न हो। तथापि, श्रुतलेखक/वाचक की योग्यता मैट्रिकुलेट अथवा उससे ऊपर ही होनी चाहिए।

iv. यदि अभ्यर्थी को अपना श्रुतलेखक लाने की अनुमति दी जाती है, तो श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए। अपना श्रुतलेखक/वाचक चुनने वाले बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को संलग्नक-II के अनुसार परिशिष्ट-II के प्रोफार्मा के अनुसार अपने श्रुतलेखक का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

v. आपातकालीन स्थिति में श्रुतलेखक/वाचक बदलने की भी संभावना बनी रहनी चाहिए। अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रश्न-पत्रों को लिखने के लिए विभिन्न श्रुतलेखक/वाचक लेने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। तथापि, प्रति प्रश्न-पत्र केवल एक ही श्रुतलेखक हो सकता है।

vi. अभ्यर्थियों को परिशिष्ट-I (संलग्नक-III) के अनुसार चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के पैरा-2 में उल्लिखित प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, क्षवण यंत्र आदि जैसे सहायक एवं सहायक उपकरणों के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

vii. जो अभ्यर्थी श्रुतलेखक सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं, उन्हें प्रतिघंटा परीक्षा के लिए न्यूनतम 20 मिनट का अतिरिक्त प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

2. पुराने पैटर्न के आंशिक रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों/पुराने पैटर्न के सुधार अवसर के अभ्यर्थियों के लिए।

प्रश्न-पत्र मिलान अनुसूची निम्नानुसार होगी:

क्र. सं.	पुराने पैटर्न का अनुत्तीर्ण प्रश्न-पत्र	नये पैटर्न में अभ्यर्थियों द्वारा लिए जाने वाले सुसंगत प्रश्न-पत्र	प्रकार	अधिकतम अंक
1.	प्रश्न-पत्र-1: आयकर विधि एवं संगणना (पुस्तकों के बिना)	प्रश्न-पत्र-I: आयकर विधि एवं करदाता सेवाएँ (पुस्तकों सहित – केवल मूल अधिनियम एवं नियम)	वस्तुनिष्ठ	100
2.	प्रश्न-पत्र-2: उन्नत लेखाशास्त्र (पुस्तकों के बिना)	प्रश्न-पत्र-II: उन्नत लेखाशास्त्र (पुस्तकों के बिना)	वस्तुनिष्ठ	100
3.	प्रश्न-पत्र-3: सम्बद्ध विधियाँ (पुस्तकों के बिना)	प्रश्न-पत्र-III: सम्बद्ध विधियाँ एवं कार्यालय प्रशासन (मूल अधिनियम तथा एफआर, एसआर, जीएफआर नियम आदि	वस्तुनिष्ठ	100

क्र. सं.	पुराने पैटर्न का अनुत्तीर्ण प्रश्न-पत्र	नये पैटर्न में अभ्यर्थियों द्वारा लिए जाने वाले सुसंगत प्रश्न-पत्र	प्रकार	अधिकतम अंक
		पुस्तकों सहित)		
4.	प्रश्न-पत्र-4: (आयकर एवं लेखाशास्त्र) संयुक्त व्यावहारिक (आयकर अधिनियम एवं नियमों सहित)	प्रश्न-पत्र-IV: आय की संगणना एवं प्रारूपण (पुस्तकों सहित – आयकर अधिनियम एवं नियम)	विषयनिष्ठ	100

ए.) आंशिक रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नवीन रूप से प्रवर्तित प्रश्न-पत्र V में भी उत्तीर्ण होना अपेक्षित होगा।

बी.) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा नियमावली, 1998 के अंतर्गत आंशिक रूप से उत्तीर्ण था तथा परीक्षा नियमावली, 2009 के अंतर्गत संबंधित समकक्ष प्रश्नपत्र में बैठा था, तो उसे परीक्षा नियम, 2026 के नियम VI(2) में निर्दिष्ट समकक्ष प्रश्नपत्र का चयन करना होगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु उसे नए सम्मिलित प्रश्नपत्र-V को भी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

<u>नियम VII: उत्तीर्णांक प्रतिशत</u>

1. किसी अभ्यर्थी को आयकर अधिकारी हेतु विभागीय परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण तभी घोषित किया जाएगा, यदि वह उपर्युक्त नियम VI में उल्लिखित प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 50% अंक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के मामले में 45%) प्राप्त कर ले। इसके आगे किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को इस निर्धारित मानक से अतिरिक्त कोई छूट अथवा रियायत प्रदान नहीं की जाएगी।
2. जो अभ्यर्थी किसी एक प्रश्नपत्र या अधिक प्रश्नपत्रों में 50% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के मामले में 45%) या उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें आगामी परीक्षा/परीक्षाओं में उन प्रश्नपत्रों में पुनः सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. ऐसे अभ्यर्थी, जो पुराने परीक्षा पैटर्न के अनुसार एक या एक से अधिक प्रश्न-पत्रों में आंशिक रूप से उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें इन प्रश्न-पत्रों में पुनः सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी

तथा उन्हें पुराने पैटर्न के अनुसार (या तो सामान्य अथवा शिथिलीकृत मानक में) उत्तीर्ण माना जाएगा।

4. किसी प्रश्न-पत्र में ¼, ½, ¾ जैसे प्रभाजित अंकों को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित माना जाएगा, अर्थात् 39¼ को 39 तक पूर्णांकित माना जाएगा; 39½ एवं 39¾ को 40 तक पूर्णांकित माना जाएगा।

<u>नियम VIII: कृपांक</u>

कृपांक नीति का उद्देश्य ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायता प्रदान करना है, जो अत्यल्प अंतर से अनुत्तीर्ण रह जाते हैं। किसी अभ्यर्थी को अधिकतम पाँच कृपांक निम्न प्रकार से प्रदान किए जा सकते हैं–

1. अलग-अलग प्रश्न-पत्रों में पुनः बैठने से छूट प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, प्रति प्रश्न-पत्र अधिकतम दो अंक कृपांक के रूप में अनुमत किए जाएँगे।
2. जहाँ कोई अभ्यर्थी किसी वर्ष में परीक्षा को पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर रहा है, वहाँ कुल पाँच कृपांक एक ही प्रश्न-पत्र में अनुमत किए जा सकते हैं, बशर्ते कि उस परीक्षा के किसी प्रश्न-पत्र में पुनः प्रविष्ट होने से छूट प्राप्त करने के लिए उसी या पूर्व परीक्षा के किसी भी प्रश्न-पत्र में कोई कृपांक नहीं लिए गए हों।
3. जहाँ किसी अभ्यर्थी ने पूर्व में उसी या पूर्ववर्ती परीक्षा में अलग-अलग प्रश्न-पत्र(पत्रों) में उत्तीर्ण होने के लिए पहले से ही अनुग्रह अंकों का लाभ उठा लिया है, वहाँ पहले से लिए गए अनुग्रह अंक अधिकतम अनुमेय पाँच अनुग्रह अंकों में से घटाए जाएँगे तथा शेष, यदि कोई हो, अभ्यर्थी को अनुमत किए जाएँगे।

<u>नियम-IX : अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में प्रावधान</u>

जो अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक कृत्यों में लिप्त पाया जाता है अथवा पाया गया है, उसे विभागीय परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाला माना जाएगा:

1. विभागीय परीक्षा प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए, परीक्षा में लागू नियमों की परिधि से बाहर जाकर; किसी व्यक्ति या प्राधिकारी से, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहायता/सिफारिश, प्रभाव, दबाव, अनुग्रह या हस्तक्षेप प्राप्त करना अथवा प्राप्त करने का प्रयास करना;

2. किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करना;
3. किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिरूपण करवाना;
4. जाली दस्तावेज अथवा छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज प्रस्तुत करना;
5. अभ्यर्थिता/अर्हता/श्रुतलेखक की योग्यता (यदि सुविधा ली गई हो) अथवा किसी अन्य विषय में गलत या असत्य विवरण देना तथा महत्वपूर्ण तथ्य छिपाना;
6. परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता अथवा परीक्षा के परिणाम के संबंध में किसी अन्य अनियमितता अथवा किसी अन्य अनुचित साधनों का सहारा लेना;
7. परीक्षा कक्ष में ऐसे किसी कागज, पुस्तक, नोट अथवा अन्य सामग्री का उसके पास पाया जाना, जिसका परीक्षा हॉल में प्रयोग अनुमत नहीं है (परीक्षा प्रभाग द्वारा यथा निर्धारित);
8. अन्य अभ्यर्थियों के साथ संवाद करना अथवा कैलकुलेटर, पर्चियाँ, ब्लॉटिंग पेपर आदि (जिन पर कुछ लिखा हो) का आदान-प्रदान करना;
9. परीक्षा प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों से छेड़छाड़ करना;
10. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच अथवा ब्लूटूथ उपकरण, वैज्ञानिक कैलकुलेटर आदि सहित कोई भी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना;
11. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना;
12. उपर्युक्त किसी भी कृत्य को करने का प्रयास करना अथवा उसमें सहायता/उकसावा देना;
13. उत्तर पुस्तिका को चोरी-छिपे अथवा बलपूर्वक परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना या ले जाने का प्रयास करना; तथा
14. कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायक/जनरेटिव एआई एप्लीकेशन/अप्रकटित एलएलएम एक्सेस/श्रुतलेखकों के माध्यम से वॉयस-रिले आदि का उपयोग।

ऐसा अभ्यर्थी जो उपर्युक्त अनुचित साधनों में से किसी एक अथवा अधिक में लिप्त पाया गया है अथवा जाता है, वह उपयुक्त नियमों के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त निम्नलिखित दंडों में से किसी एक अथवा अधिक दंड का भागी हो सकता है:

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस परीक्षा से, जिसमें वह एक अभ्यर्थी है अयोग्य घोषित किया जाना तथा उस परीक्षा में जिन प्रश्नपत्रों में उसने भाग लिया हो, उन सभी में शून्य अंक देकर अनुत्तीर्ण घोषित किया जाना।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझी गई अवधि के लिए अथवा स्थायी रूप से विभागीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित किया जाना।
3. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही के प्रारंभ के साथ-साथ वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्टि किया जाना। इस खंड के अधीन कार्यवाही केवल नियम-X के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात्, तथा यदि अभ्यर्थी द्वारा पुनरीक्षण याचिका दायर की जाती है तो, नियम-XI के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही की जाएगी।

<u>नियम-X : दण्ड के अधिनिर्णयन की प्रक्रिया</u>

1. सक्षम प्राधिकारी अभ्यर्थी को एक ज्ञापन जारी करेगा जिसमें उससे आरोप-ज्ञापन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर (असाधारण मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे 30 दिनों के लिए विस्तारित किया जा सकता है) अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।
2. सक्षम प्राधिकारी, परीक्षा प्रभारी से अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग के संबंध में सुसंगत उपकरण के प्रमाणित डिजिटल लॉग सहित सभी सुसंगत साक्ष्य/सामग्री द्वारा समर्थित एक व्यापक रिपोर्ट मँगाएगा।
3. सक्षम प्राधिकारी, परीक्षा प्रभारी से प्राप्त रिपोर्ट को, अभिलेख पर उपलब्ध सभी प्रासंगिक साक्ष्यों एवं सामग्री का परीक्षण करेगा और आवश्यक समझे जाने पर कोई अन्य जांच भी कर सकता है। ऐसे परीक्षण एवं जांच के उपरांत सक्षम प्राधिकारी आरोप के संबंध में अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगा। यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आरोप पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से सिद्ध पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी आरोप की गंभीरता के अनुसार दण्ड निर्धारित करेगा तथा इस संबंध में उचित लिखित आदेश पारित करेगा। यदि आरोप सिद्ध नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में तर्कसंगत आदेश पारित करेगा।

<u>नियम XI: पुनरीक्षण प्राधिकारी</u>

1. नियम-X के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दण्डादेश से व्यथित अभ्यर्थी उक्त आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रधान आयकर महानिदेशक (मानव संसाधन विकास), नई दिल्ली के समक्ष दण्डादेश के पुनरीक्षण हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता/सकती है। प्रधान आयकर महानिदेशक (मानव संसाधन विकास), नई दिल्ली अभ्यर्थी द्वारा दण्डादेश प्राप्त होने की तिथि से अतिरिक्त 30 दिनों की अवधि तक पुनरीक्षण याचिका दायर करने में हुई विलम्ब को क्षमा कर सकेंगे।
2. प्रधान आयकर महानिदेशक (मानव संसाधन विकास), नई दिल्ली, उनके समक्ष प्रस्तुत तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का मूल्यांकन करने के उपरांत उचित लिखित आदेश पारित करेंगे। दण्ड के अधिरोपण, संशोधन अथवा प्रतिसंहरण से संबंधित सभी मामलों में प्रधान आयकर महानिदेशक (मानव संसाधन विकास) द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

<u>नियम XII: पुनर्मूल्यांकन एवं अभ्यावेदन</u>

1. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनर्गणना के लिए किसी भी परिस्थिति में कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए, प्रश्न-पत्र, अनंतिम उत्तर कुंजी(कुंजियाँ) एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये उत्तरों की प्रति विभागीय वेबसाइट “incometaxindia.gov.in” पर अपलोड की जाएगी।
3. अभ्यर्थी, अनंतिम उत्तर कुंजी (कुंजियों) के संबंध में अपना ऑनलाईन अभ्यावेदन (यदि हो तो), विभागीय वेबसाइट “incometaxindia.gov.in” पर प्रस्तुत कर सकेंगे। यह विंडो सक्रिय किए जाने की तारीख से सात दिनों तक खुली रहेगी तथा निर्धारित अवधि के पश्चात किसी अन्य माध्यम से कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास) द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी।
5. विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति के निर्णय के आधार पर अनंतिम उत्तर कुंजियों को

अंतिम रूप दिया जाएगा तथा तदनुसार अंतिम परिणाम घोषित कर विभागीय वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

6. तथापि, विषयनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों के लिए अंकों के पुनर्गणना का अनुरोध स्वीकार किया जाएगा, यदि आयकर निदेशालय, मानव संसाधन विकास द्वारा परिणाम जारी किए जाने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अथवा संबंधित परीक्षा प्रभारी द्वारा परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा प्रभारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, विभागीय वेबसाइट "incometaxindia.gov.in" पर परिणाम अपलोड किए जाने की तारीख को आयकर निदेशालय, मानव संसाधन विकास द्वारा परिणाम जारी किए जाने की तारीख माना जाएगा।

<u>नियम-XIII : परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन</u>

1. परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी द्वारा उस क्षेत्र अथवा प्रभार के परीक्षा प्रभारी को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जहाँ अभ्यर्थी आवेदन करते समय पदस्थापित हो। आवेदन निर्धारित प्रारूप में, जब भी आमंत्रित किया जाए, केवल पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम परीक्षा प्रभारी द्वारा घोषित किए जाने के पश्चात ही किया जाएगा।
2. इस प्रयोजन हेतु अधिसूचित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन बिना, कोई कारण बताए सीधे ही अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अभ्यर्थी का स्थानांतरण न हुआ हो अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझे गए प्रशासनिक कारण न हों।
4. आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अभ्यर्थी के स्थानांतरण की स्थिति में, अभ्यर्थी पूर्व आवेदन पत्र की एक प्रति तथा स्थानांतरण आदेश, नए प्रभार के परीक्षा प्रभारी के माध्यम से आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास) को अग्रेषित करेगा।
5. सभी अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की एक छायाप्रति अपने पास रखें।

<u>नियम XIV: परीक्षा प्रभारी द्वारा भेजी जाने वाली सूचियां /विवरण</u>

परीक्षा प्रभारी, आयकर निदेशालय, मानव संसाधन विकास को निम्नलिखित विवरणों की सूचियाँ भेजेंगे:

1.	परीक्षा प्रभारी द्वारा सत्यापित एवं अनुप्रमाणित आवेदन-पत्र	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 30 दिनों के भीतर।
2.	बैठक व्यवस्था एवं सत्यापित उपस्थिति पत्रक	परीक्षा के ठीक अगले दिन स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित।
3.	परीक्षा प्रभारी द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार परीक्षा में बैठने के लिये अनुमत्त अभ्यर्थियों की सूची 'बी', जिसमें अभ्यर्थियों को आबंटित अनुक्रमांक तथा पूर्व वर्षों की परीक्षाओं में विभिन्न प्रश्नपत्रों में प्राप्त छूट अंक, निर्धारित प्रारूप में दिए गये हों। किसी विशेष प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों की परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष लाल स्याही से 'A' अंकित किया जाएगा।	परीक्षा की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर।

<u>नियम XV: अभ्यर्थियों का परिणाम</u>

1. परीक्षा का परिणाम आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास) में संकलित किया जाएगा तथा संबंधित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को सूचित करते हुए परीक्षा प्रभारी को प्रेषित किया जाएगा। परीक्षा प्रभारी प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्राप्त अंकों सहित परिणाम, अभ्यर्थियों को सूचित करेगा। परीक्षा प्रभारी उन अभ्यर्थियों के नाम घोषित करेगा, जिन्होंने परीक्षा पूर्णतः उत्तीर्ण की है तथा पूर्णतः सफल अभ्यर्थियों की सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास) को प्रेषित करेगा।

2. परीक्षा आयोजित होने में विलम्ब अथवा परिणाम घोषित होने में विलंब के कारण, अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार से यह दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा कि उन्हें सुसंगत रिक्ति वर्ष की दिनांक 1 जनवरी से पात्र मानते हुए उन्हें उस रिक्ति वर्ष के लिए प्रोन्नति प्रदान की जाए; चाहे परीक्षा कभी भी आयोजित हुई हो अथवा उसका परिणाम कभी भी घोषित किया गया हो।
3. परीक्षा आयोजित करने अथवा उसके परिणाम घोषित करने में विलम्ब के कारण किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई शिथिलीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा।

*****

संलग्नक-I

आयकर अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम

प्रश्न-पत्र-I: आयकर विधि एवं करदाता सेवाएँ

(वस्तुनिष्ठ प्रकार, पुस्तकों सहित – केवल मूल अधिनियम एवं नियम)

अवधि: 2 घंटे **अधिकतम अंक: 100**

(प्रश्न-पत्र में कुल 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।)

भाग ए : आयकर [90 अंक]

1. समय समय पर यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 (इसके लागू होने की अवधि तक) एवं आयकर अधिनियम, 2025, के सुसंगत नियमों तथा अधिनियम एवं नियमों के व्यावहारिक अनुप्रयोग के साथ।

2. **करदाता सेवाएँ एवं डिजिटल सेवा प्रदायगी:**

   ए.) करदाता चार्टर एवं सेवा प्रदायगी मानक।

   बी.) करदाता सेवाओं में व्यावहारिक अनुप्रयोग;

   i. वैयक्तिकृत पत्र-व्यवहार।

   ii. डिजिटल प्लेटफॉर्म

   iii. सक्रिय सेवा प्रदायगी: TRACES, 26AS, ई-पैन, प्रीफिल्ड आईटीआर, ASK, सेवोत्तम (SEVOTTAM)।

   सी.) करदाता सेवाओं में शिकायत निवारण पद्धतियाँ – CPGRAM, ई-निवारण।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधारों से प्राप्त सीख पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए 15 अंक आबंटित हैं। विश्लेषण हेतु विषयों की सूची निम्नानुसार है:

   ए.) व्यापार व्यय /अस्वीकरण

   बी.) पूँजीगत लाभ

   सी.) छूट एवं कटौती

   डी.) नकद जमा / अस्पष्टीकृत आय

   ई.) पुनर्निर्धारण / निर्धारण का पुनः आरंभ

   एफ.) तलाशी निर्धारण / तलाशी-पश्चात् एडिशन

   जी.) पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार

भाग बी: प्रत्यक्ष करों के अन्य अधिनियम (पुस्तकों सहित – केवल मूल अधिनियम) [10 अंक]

1. काला धन (अप्रकटित विदेशी आय एवं आस्तियाँ) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015।
2. बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 ।

*****

आयकर अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम

प्रश्न-पत्र-II: उन्नत लेखाशास्त्र

(वस्तुनिष्ठ प्रकार, पुस्तकों के बिना)

अवधि: 2 घंटे **अधिकतम अंक: 100**

(प्रश्न-पत्र में कुल 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।)

यह प्रश्न-पत्र 100 अंकों का होगा, जिसमें से 35% भारिता व्यावहारिक अनुप्रयोग पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को दी जाएगी, जिनमें सही उत्तर दे पाने के लिए विश्लेषणात्मक तर्क एवं संगणनात्मक समझ की आवश्यकता होगी। पाठ्यक्रम निम्नानुसार है:

1. लेखांकन चक्र एवं अंतिम लेखा अर्थात् विनिर्माण, व्यापार तथा लाभ-हानि लेखे एवं तुलन-पत्र तैयार करना।
2. भागीदारी लेखा (संगठन में परिवर्तन एवं विघटन मामलों सहित)।
3. कंपनी लेखा :
   ए.) अंतिम लेखा
   बी.) शेयरों का जारी एवं जब्त होना
   सी.) आकस्मिक व्यय
4. किराया-क्रय पारेषण एवं संयुक्त उद्यम लेखा।
5. मूल्यह्रास का लेखा – सीधी रेखा पद्धति एवं अवलिखित मूल्य पद्धति।
6. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित लेखांकन मानकों की मूल बातें:
   ए.) एएस-1: लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण।
   बी.) एएस-2: माल-सूची का मूल्यांकन।
   सी.) एएस-7: निर्माण संविदाओं का लेखांकन।
   डी.) एएस-9: रेवन्यू रेगनिशन।
   ई.) एएस-10: सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर।
   एफ.) एएस-11: विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव हेतु लेखांकन।
   जी.) एएस-12: सरकारी अनुदान हेतु लेखांकन।
   एच.) एएस-13: निवेश हेतु लेखांकन।
   आई.) एएस-16: उधार लागत।

जे.) एएस-19: पट्टे।

के.) एएस-22: आय पर करों का लेखांकन।

एल.) एएस-29: प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ।

7. समामेलन, अधिग्रहण एवं पुनर्निर्माण की मूल बातें।

इस प्रश्न-पत्र में अभ्यर्थी के सामान्य वाणिज्यिक शब्दों के ज्ञान का भी परीक्षण किया जाएगा। प्रश्न-पत्र स्नातक स्तर का होगा।

आयकर अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम

प्रश्न-पत्र-III: सम्बद्ध विधियाँ एवं कार्यालय प्रशासन

(वस्तुनिष्ठ प्रकार, पुस्तकों सहित – मूल अधिनियम तथा एफआर, एसआर, जीएफआर नियम आदि)

अवधि: 2 घंटे **अधिकतम अंक: 100**

(प्रश्न-पत्र में कुल 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।)

भाग ए: सम्बद्ध विधियाँ [50 अंक]

1. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (अध्याय I से अध्याय VI तक)
2. सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882:
   - ए.) अध्याय-II (धारा 5 से 11, 44 से 53ए)
   - बी.) अध्याय-III
   - सी.) अध्याय-IV (धारा 58, 59ए, 69, 73, 100, 102, 103)
   - डी.) अध्याय-V (धारा 105 से 108)
   - ई.) अध्याय-VII
   - एफ.) अध्याय-VIII (धारा 130)
3. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
4. कंपनी अधिनियम, 2013:
   - ए.) अध्याय I – धारा 1 से 2
   - बी.) अध्याय II – धारा 3 से 15
   - सी.) अध्याय IV – धारा 43 से 48, 52, 53, 55, 60, 63 एवं 71
   - डी.) अध्याय IX – धारा 128 से 138
   - ई.) अध्याय XV – धारा 230 से 240
   - एफ.) अध्याय XX – धारा 359 से 365
5. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (अध्याय I से अध्याय VI तक)
6. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:
   - ए.) आदेश V: समन का जारी किया जाना एवं उसकी तामील
   - बी.) आदेश XVI: साक्षियों को समन एवं उनकी उपस्थिति
   - सी.) आदेश XXI के साथ पठित धारा 60 से 63,
   - डी.) आदेश XIX: शपथपत्र

ई.) आदेश XXVI: कमीशन (नियम 1 से 18)

एफ.) आदेश XLVII: पुनर्विलोकन

7. सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 (अध्याय I से V, अध्याय XI)
8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (धारा 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
9. सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008

भाग बी: कार्यालय प्रशासन [50 अंक]

1. मूल नियम एवं अनुपूरक नियम
2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965
3. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964
4. केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021
6. वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम, 2024
7. सामान्य वित्तीय नियम, 2017
8. कार्यालय प्रक्रिया नियमावली (खंड I, II एवं III)
9. पॉश (POSH) {अधिनियम (कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013}
10. दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम, 2016
11. जेम (GeM) के माध्यम से सार्वजनिक खरीद एवं संविदा प्रबंधन का संचालन।

*****

आयकर अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम

प्रश्न-पत्र - IV: आय की गणना एवं प्रारूपण

(विषयनिष्ठ प्रकार, पुस्तकों सहित – आयकर अधिनियम एवं नियम)

अवधि: 3 घंटे **अधिकतम अंक: 100**

भाग ए : आय की संगणना [50 अंक]

1. आय के शीर्षों के अंतर्गत आय की गणना।
2. सकल कुल आय से छूट प्राप्त आय एवं कटौतियाँ।
3. आय का समुच्चय, हानियों का समायोजन एवं अग्रनयन, तथा आय का संयुक्तीकरण।
4. व्यष्टि, भागीदारी फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी एवं कंपनी की कुल कर योग्य आय की गणना।
5. कर, ब्याज एवं प्रतिदाय की गणना।

भाग बी : नोटिसों/आदेशों का प्रारूपण [50 अंक]

1. प्रश्नावली एवं कारण बताओ नोटिस सहित सांविधिक नोटिसों का प्रारूपण।
2. निर्धारण आदेशों का प्रारूपण।
3. शास्ति नोटिसों एवं शास्ति आदेशों का प्रारूपण।
4. आय/हानि विनिश्चयन प्रस्तावों (आईएलडीपी) का प्रारूपण।
5. निर्धारण, मांग, रिफन्ड व रेक्टिफिकेशन से संबंधित मूल कार्यालयी पत्राचार का प्रारूपण।

*****

आयकर अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम

प्रश्न-पत्र-V: आई टी एप्लीकेशन एवं संचालन

(वस्तुनिष्ठ प्रकार, पुस्तकों के बिना)

अवधि: 2 घंटे **अधिकतम अंक: 100**

(प्रश्न-पत्र में कुल 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।)

प्रश्न विभाग में आई टी एप्लीकेशन एवं संचालन पर आधारित होंगे। इसमें विभाग के मूल कार्य हेतु अभ्यर्थी की कार्यात्मक क्षमता का परीक्षण किया जाएगा।

1. आईटीबीए (ITBA) एप्लीकेशन मॉड्यूल:

ए.) आईटीबीए पोर्टल का संक्षिप्त परिचय

बी.) आईटीआर प्रोसेसिंग

सी.) सुधार

डी.) वसूली

ई.) लेखा परीक्षा

एफ.) फेसलेस अपील, अपील रजिस्टर एवं सीएसआर

जी.) प्रभाव प्रदायी आदेश (ऑर्डर गिविंग इफ़ेक्ट)

एच.) शास्ति

आई.) ई-निवारण

जे.) पैन एवं टैन – (अनिवासी भारतीय (एनआरआई) की प्रास्थिति देखना/अद्यतन करना, किसी ईवेंट को चिन्हित करना, विलोपन/ई-डुप्लीकेशन/प्रत्यावर्तन प्रारंभ करना, स्थानांतरण/स्थानांतरण आदेश सृजित करना, बल्क स्थानांतरण प्रारंभ करना।

के.) टीडीएस

एल.) सामान्य कार्य

एम.) सभी मॉड्यूलों की एमआईएस-रिपोर्ट सृजन

एन.) ईमेल एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)

2. आईटीबीए में निर्धारण मॉड्यूल (फेसलेस एवं गैर-फेसलेस):

ए.) निर्धारण का अवलोकन

बी.) निर्धारण की विशेषताएँ एवं कार्य

सी.) मामलों का चयन एवं नोटिस सृजन

डी.) चयनित मामलों का रद्दीकरण

ई.) स्क्रूटनी निर्धारण (नोटिस जारी करने, अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) व मूल्यांकन अधिकारी (वीओ) आदि के साथ पत्राचार करने सहित सभी निर्धारण कार्यवाहियों का संचालन; आय में वृद्धियाँ/अस्वीकरण करना, संगणना हेतु सीपीसी-आईटीआर को डेटा भेजना, फीडबैक कैप्चर करना, निर्धारण आदेश पारित करना)

एफ.) हस्तलिखित आदेश अपलोड करना

जी.) अपास्त किए गए मामले नये निर्धारण हेतु निर्धारण अधिकारी को भेजना

एच.) अपास्त किए गए मामले नये निर्धारण हेतु आयकर आयुक्त (अपील) को भेजना

3. आईटीबीए में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस):

ए.) आईटीबीए में एचआरएमएस की भूमिका

ब.) उपयोगकर्ता भूमिकाएँ एवं अभिगम स्तर

सी.) भूमिका-आधारित अभिगम नियंत्रण

डी.) अनुपालन एवं मानव संसाधन नियम

4. इनसाइट एप्लीकेशन मॉड्यूल:

ए.) इनसाइट पोर्टल का परिचय

बी.) इनसाइट एप्लिकेशन में डेटा प्रबंधन

सी.) इनसाइट पोर्टल का प्रक्रिया प्रवाह

डी.) ई-सत्यापन

ई.) तृतीय पक्ष रिपोर्टिंग

5. आयकर विभाग को सूचना सुरक्षा नीति, 2020

6. डिजिटल फोरेंसिक:

ए.) सीबीडीटी डिजिटल इंटेलिजेंस एण्ड एनालिटिक्स लैब्स (डायल्स) मानक

बी.) डिजिटल फोरेंसिक प्रोटोकॉल

सी.) सर्च के प्रारंभ में तथा सर्च के पश्चात् डिजिटल उपकरणों को संभालना

डी.) डिस्क, मोबाइल, ईमेल एवं क्लाउड फोरेंसिक

ई.) क्लोनिंग, निष्कर्षण, अनुक्रमण/क्लस्टरिंग, प्रारूप फॉर्म 65बी /भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के अधीन प्रमाण-पत्र, अभिरक्षा शृंखला, पंचनामा एवं मज़हरनामा।

संलग्नक-II

परिशिष्ट-II

(दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले किन्तु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले एवं लिखने में कठिनाई वाले व्यक्तियों द्वारा वचनबद्धता पत्र।)

मैं, _____, _____ (दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) से ग्रस्त एक अभ्यर्थी, _____ (परीक्षा का नाम) में अनुक्रमांक सं _____, परीक्षा केन्द्र _____ (केन्द्र का नाम), जिला _____, _____ (राज्य का नाम) में बैठ रहा/रही हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता _____ है।

2. मैं एतद्द्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि _____ (श्रुतलेखक का नाम) उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधोहस्ताक्षरी को श्रुतलेखन की सेवा प्रदान करेगा/करेगी।

3. मैं एतद्द्वारा यह वचन देता/देती हूँ कि उसकी योग्यता _____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित अनुसार नहीं है तथा मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद अथवा प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री के अपने अधिकार एवं उससे संबंधित दावों को अपवर्तित कर दूँगा/दूँगी।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रति-हस्ताक्षर, यदि अभ्यर्थी अवयस्क हो)

स्थान:

दिनांक:

संलग्नक-III

परिशिष्ट-I

(दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले किन्तु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले एवं लिखने में कठिनाई वाले व्यक्तियों हेतु प्रमाण-पत्र।)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/सुश्री ..... (अभ्यर्थी का नाम), पुत्र/पुत्री श्री ....., निवासी ..... (ग्राम/डा.घ./थाना/जिला/राज्य), आयु ..... वर्ष, ... (दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) से ग्रस्त व्यक्ति की संपरीक्षा की है, तथा यह प्रमाणित किया जाता है कि उसकी उपर्युक्त स्थिति के कारण ऐसी सीमाएँ हैं जो उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती हैं। परीक्षा लिखने हेतु उसे श्रुतलेखक की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम विनिर्दिष्ट किया जाए) जैसे सहायक एवं सहायता उपकरणों का उपयोग करता/करती है, जो श्रुतलेखक की सहायता से अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है/हैं।

3. यह प्रमाण-पत्र केवल भर्ती एजेंसियों तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के प्रयोजन से जारी किया गया है तथा दिनांक _____ तक वैध है। (यह अधिकतम छह माह की अवधि अथवा चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित, उससे कम अवधि के लिए वैध होगा)।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
अस्थि रोग विशेषज्ञ / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	तंत्रिका रोग विशेषज्ञ (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए (यदि कोई हो)

(हस्ताक्षर एवं नाम)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी ..... अध्यक्ष

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र का नाम मुहर सहित

स्थान:

दिनांक: